न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/79/2018	27–12–2018	07–01–2019

1–भंवर सिंह पुत्र भीम सिंह, नवीरा चन्दन सिंह, राजपूत, निवासी ग्राम बडेर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राजस्थान मृतक
1/1–सुप्यार कंवर बेवा भंवर सिंह
1/2–चंवर सिंह पुत्र भंवर सिंह
1/3–महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
1/4–रणवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
1/5–भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह
1/6–बलबीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
1/7–अनोप कंवर पुत्री भंवर सिंह
1/8–प्रेम कंवर पुत्री भंवर सिंह, समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बडेर, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अलवर।

–प्रतिवादीगण सायलान

बनाम

1–मु0 श्याम कलां बेवा श्री गब्दू जाति राजपूत, निवासी ग्राम बडेर, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

–वादनी गैरसायलान

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री महेश कुमार गोठवाल –वकील प्रार्थी
02. श्री गणपत सिंह नरूका –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर सहायक कलक्टर, अलवर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी श्याम कलां बनाम भंवर सिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी श्याम कलां बनाम भंवर सिंह वगै0 सहायक कलक्टर, अलवर में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दावे में आगामी पेशी 12.11.2018 नियत थी। जिसमें आगामी पेशी 21.01.2019 नियत की गई थी लेकिन वादनी ने गलत तरीके से प्रार्थना–पत्र देकर नजदीक की तारीख 26.12.2018 लगवा ली। उसके बाद आगामी पेशी 28.12.2018 लगाई गई। यानि मुकदमें में नजदीकी तारीख पेशी लगाई जा रही है व इस प्रकरण को मर्डर का केस बना रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी प्रकार के अन्य प्रकरण विचाराधीन है जिनमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो–दो तीन–तीन महिने की पेशीयां लगाई जा रही है व इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय विशेष दिलचस्पी लेकर नजदीक–नजदीक की पेशीयां लगाई जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के चैम्बर में श्याम कलां को कई बार आते–जाते देखा है। वादनी ने सरेआम यह कहां है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

मैंने अधीनस्थ न्यायालय से अपना तालमैल बैठा लिया है। मुकदमें का निस्तारण अपने पक्ष में कराकर रहुंगी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बअनुवानी श्याम कलां बनाम भंवर सिंह वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 की पेशी नियम थी जो बाद में दिनांक 11.12.2018 व उसके बाद दिनांक 18.12.2018 नियत की गई थी। दिनांक 21.01.2019 की कोई तारीख पेशी नियत नहीं की गई थी। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 05.04.2012 में निर्देशित किया गया था कि उक्त मुकदमें का निस्तारण एक माह में किया जाये। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हेतु प्रार्थिनी ने दिनांक 18.12.2018 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये जिसकी पालना में प्रार्थिनी ने दिनांक 06.07.2012 को अपने वकील के साथ वकालतनामा पेश किया। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। दिनांक 17.04.2017 को प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 कैम्प कोर्ट बडेर में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए तथा प्रार्थिनी ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। न्यायालय द्वारा आदेश 6 नियम 17 का प्रा0पत्र खारिज किया गया। वादनी श्याम कलां ने दिनांक 18.12.2018 को शीघ्र सुनवाई हेतु प्रा0पत्र पेश किया था। जिसकी प्रतिवादीगण को नकल दी गई। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 24.12.2018 नियत की गई। दिनांक 24.12.2018 को वकील वादनी द्वारा बहस की गई। प्रतिवादीगण के वकील को बार–बार अवाज लगाई गई परन्तु उपस्थित नहीं हुए। जिस कारण उनकी बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26.12.2018 नियत की गई। दिनांक 26.12.2018 को वकीलों का कार्यस्थगन होने के कारण बहस नहीं हो सकी एवं पत्रावली बहस वकील प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 28.12.2018 नियत की गई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद को लम्बा करने की गर्ज से उक्त प्रा0पत्र लगाया गया है। चंवर सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम बडेर ने एक प्रा0पत्र बाबत मृत्यु पंजीकरण करने हेतु तहसीलदार अलवर को पेश किया। जिसमें चंवर सिंह ने अंकित किया कि गब्दू सिंह मेरे चाचा है। जिनका मृत्यु प्रमाण–पत्र नहीं बना है। प्रा0पत्र में गब्दू सिंह की मृत्यु दिनांक 04.05.1966 गलत दर्ज करते हुए पेश किया गया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं सहायक कलक्टर, अवलर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। सहायक कलक्टर, अलवर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण दिनांक 16.06.1984 से विचाराधीन है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 05.04.2012 को अपील आंशिक स्वीकार की जाकर वाद गुणावगुण के आधार पर एक माह में निस्तारण करने के आदेश फरमाये। दिनांक 30.04.2012 को दोनों पक्षकारों को जरिये समन तलब किया गया। वादनी श्याम कलां द्वारा दिनांक 06.07.2012 को वकालतनामा पेश करवाया गया। दिनांक 19.08.2015 को उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अलवर से सहायक कलक्टर अलवर को क्षेत्राधिकार होने के कारण प्राप्त हुआ। प्रशासनिक कार्य व चुनाव कार्य में व्यस्त रहने के कारण दिनांक 04.07.2018, 23.08.2018, 04.10.2018, 22.10.2018, 12.11.2018, 11.12.2018 एवं 18.12.2018 पेशी दी गइ। दिनांक 18.12.2018 को श्याम कलां द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में एक प्रा0पत्र पेश किया गया। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 24.12.2018 नियत की गई। दिनांक 24.12.2018 को वादनी श्याम कलां के वकील की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण की बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26.12.2018 नियत की गई। तद्उपरांत दिनांक 28.12.2018 नियत की गई। दिनांक 21.01.2019 की पेशी प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)

नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 05.04.2012 में प्रकरण को रिमाण्ड कर प्रकरण का एक माह में निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है तथा दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.01.2019 को पेश होवें।

निर्णय प्रति सहायक कलक्टर, अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर को कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07–01–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)